संचिका संख्या– प्र010ए/अग्रिम (वि0) –15/99/वि0,2742 वि0(अ0)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक– 10 नबम्वर,2001

विषयः– राज्य सरकार के सेवीवर्ग के लिए केन्द्र के अनुरूप त्योहार अग्रिम की अधिसीमा का उत्क्रमण तथा शर्तो का निर्धारण ।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर त्योहार अग्रिम स्वीकृत करने का प्रावधान है ।

2. राज्य के सेवीवर्ग को भी केन्द्रीय सेवा शर्तो के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के राज्य सरकार के सैद्धान्तिक निर्णय के आलोक में उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति त्योहार अग्रिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गयी है । तदनुसार, अब त्योहार अग्रिम की राषि 400/–रू0 से बढ़ाकर केन्द्र के अनुरूप 1500/– रूपये निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :

क. यह 8300/– रूपये तक मूल वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मियों को ही देय होगा ।

ख. एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार देय होगा ।

ग. अग्रिम की वसूली भुगतान के बाद के माह से 10 किस्तों में की जायेगी ।

ध. वसूली का दायित्व अग्रिम भुगतान करने वाले पदाधिकारी का होगा ।

ड़. आकस्मिक तथा निलंबित कर्मचारियों को यह अग्रिम देय नही होगा ।

च. अग्रिम की स्वीकृत विभागीय /कार्यालय प्रधान द्वारा दी जायेगी ।

छ. पूर्व स्वीकृत त्योहार अग्रिम के पूर्ण सामंजन के बाद ही यह अग्रिम अनुमान्य होगा ।

ज. अग्रिम की निकासी एवं भुगतान त्योहार के पहले किया जायेगा ।

3. त्योहार अग्रिम से संबंधित व्यय उसी व्यय –षीर्ष में विकलित होगा, जिसमें संबंधित कर्मचारी को वेतनादि का भुगतान किया जाता है ।

4. अन्य शर्तें ,जो इसमें अंकित नही है, के संबंध में केन्द्र सरकार द्धारा निर्धारित प्रक्रिया /नियम लागू होगें ।

5. अग्रिम संबंधी सुविधाएँ एवं प्रावधान आदेष निर्गत होने की तिथि से लागू होगें ।

6. इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेष, संख्या 1329 दिनांक 20,03,1991 को इस हद तक संषोधित समझा जाय ।

आदेषः– आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाषन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेष से,

(रमा कांत सिंह)

उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक– 2742 वि0 (अ0) पटना, दिनांक– 10.11.2001

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, रॉची तथा पटना को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक– 2742 वि0 (अ0) पटना, दिनांक– 10.11.2001

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक– 2742 वि0 (अ0) पटना, दिनांक– 10.11.2001

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त /निबंधक, उच्च न्यायालय, राज्यपाल के सचिव /सचिव बिहार विधान सभा एवं परिषद, पटना

/सभी समाहर्ता /सभी आरक्षी तथा संयुक्त सचिव (स्थापना) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रमा कांत सिंह)

उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञापांक– 2742 वि0 (अ0) पटना, दिनांक– 10.11.2001

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस आषय के साथ प्रेषित कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित कर 200 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी की भेजी जायँ ।

(रमा कांत सिंह)

उप सचिव, वित्त विभाग